न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 112/2021 **दायर दिनांकः 05/07/2021**

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण उम्र 55 वर्ष पुत्र हरिकिशन जाति धाकड़ निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

वादी

बनाम

1. कुन्जबिहारी उम्र 70 वर्ष पुत्र हरिकिशन जाति धाकड़ निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए, 188 आर0 टी0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री ओमसिंह राठौड़।

आदेश दिनाकः 06/10/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए, 188 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल दिलोद हाथी पटवार हल्का दिलोद हाथी तह0 अटरू में खाता संख्या 81 का ख0न0 1107 का रकबा 0.07 है०, ख० न0 1108 का रकबा 3.13 है०, ख० न0 1109 का रकबा 0.93 है०, ख०न० 327 का रकबा 0.52 है०, ख0न0 500 का रकबा 0.20 है०, ख0न0 501 का रकबा 0.33 है0, ख0नं0 502 की 0.17 है0, ख0न0 503 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 504 की 0.10 है0, ख0न0 505 का रकबा 0.02 है० गै.मु. चाह, ख0न0 506 का रकबा 0.05 है0 गै0मु0 मकान, ख0नं0 508 की 0.06 है0, ख[illegible] का रकबा 1.51 है0 कुल 13 किता का रकबा 7.28 है० भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है जिसमें से ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है आराजी वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। [illegible] जमाबन्दी साथ में संलग्न है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। प्रतिवादी क्रम 1 वादी का भाई है। पारिवारिक बंटवारे में उक्त ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 वादी के हिस्से में आया था तभी से वादी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.01.28 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 पर शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी वादी के कब्जे काश्त में है। वादी का खाता संख्या 521 है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता हरिकिशन की मृत्यु के बाद बंटवारा के समय सहवन से उक्त ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 आराजी खाते में प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज हो गया जबकि उक्त ख0नं0 वादी के हिस्से में आया था और उक्त ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 पर आज भी वादी का कब्जा है। इसलिए ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 आराजी को वादी अपने नाम खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में से ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाना संभव नही है। अगर ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 आराजी वादी के खाते नही की गई तो वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इसलिए वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में से ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज की जावे। वाद कारण दिनांक 20.06.2021 को वादी द्वारा उक्त ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 आराजी को प्रतिवादी क्रम 1 से वादी के खाते खाता संख्या 521 में दर्ज कराने का निवेदन करने पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 मियादी 2 माह प्रेषित करवा दिया है लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 वादी को वाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित आराजी में से ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 पर से बेदखल करने पर आमादा है। यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया और इस अवधि के दौरान प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में से ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 पर से वादी को बेदखल कर दिया तो बाद में वादी द्वारा वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस इस वजह से वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र 80 (2) जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र नियमानुसार सुनवाई की जावे। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल दिलोद हाथी तहसील अटरू से स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने की वजह से एवं वाद खातेदारी घोषणा का होने से उक्त वाद में श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.01.28 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि :–

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वाके ग्राम एवं माल दिलोद हाथी तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 81 में से ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 आराजी वादी के खाते खाता संख्या 521 में दर्ज की जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थीया को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया कर कथन किया गया कि ।

उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जैरकार है जिस में आज तारीख पेशी नियत है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि ग्राम दिलोद हाथी की खाता संख्या 81 में से ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 भूमि जो वादी ही काश्त करता आ रहा है। उक्त नम्बर गलती से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज हो गया था इसलिए ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 प्रतिवादी के खाते से हटाकर वादी के खाते दर्ज कर दिया जावे वादी की खाता संख्या 521 है। जिस की नकल जमाबंदी संलग्न है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त राजीनामा तस्दीक करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.01.28 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सहर्ष स्वीकार किया गया, वादी की पहचान श्री सुरेश कुमार शर्मा एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री ओमसिंह राठौड एड0 द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक श्री0 एफ0 किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल दिलोद हाथी पटवार हल्का दिलोद हाथी तह0 अटरू में खाता संख्या 81 का ख0न0 1107 का रकबा 0.07 है०, ख० न0 1108 का रकबा 3.13 है०, ख० न0 1109 का रकबा 0.93 है०, ख०न० 327 का रकबा 0.52 है०, ख0न0 500 का रकबा 0.20 है०, ख0न0 501

का रकबा 0.33 है0, ख0नं0 502 की 0.17 है0, ख0न0 503 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 504 की 0.10 है0, ख0न0 505 का रकबा 0.02 है० गै.मु. चाह, ख0न0 506 का रकबा 0.05 है0 गै0मु0 मकान, ख0नं0 508 की 0.06 है0, ख0न0 509 का रकबा 1.51 है0 कुल 13 किता का रकबा 7.28 है० भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 वादी का भाई कुन्जबिहारी पुत्र हरकिशन के खाते दर्ज है। इस संबंध में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर ग्राम दिलोद हाथी की आराजी ख0नं0 327 का रकबा 0.52 है0 प्रतिवादी के खाते से हटाकर वादी के खाता संख्या 521 में दर्ज रिकार्ड कराने का अनुतोष चाहा गया है। अतः वादी व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल दिलोद हाथी पटवार हल्का दिलोद हाथी तह0 अटरू में खाता संख्या 81 का ख0न0 1107 का रकबा 0.07 है०, ख० न0 1108 का रकबा 3.13 है०, ख० न0 1109 का रकबा 0.93 है०, ख०न० 327 का रकबा 0.52 है०, ख0न0 500 का रकबा 0.20 है०, ख0न0 501 का रकबा 0.33 है0, ख0नं0 502 की 0.17 है0, ख0न0 503 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 504 की 0.10 है0, ख0न0 505 का रकबा 0.02 है० गै.मु. चाह, ख0न0 506 का रकबा 0.05 है0 गै0मु0 मकान, ख0नं0 508 की 0.06 है0, ख0न0 509 का रकबा 1.51 है0 कुल 13 किता का रकबा 7.28 है० भूमि स्थित है। उक्त भूमि में से ख०न० 327 का रकबा 0.52 है० भूमि पर वादी लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिकिशन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि खाता संख्या 81 के ख०न० 327 का रकबा 0.52 है० भूमि प्रतिवादी के खाते से कम की जाकर वादी लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिकिशन के खाता संख्या 521 में जोडा जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.01.28 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 112/2021

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण उम्र 55 वर्ष पुत्र हरिकिशन जाति धाकड़ निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

वादी

बनाम

1. कुन्जबिहारी उम्र 70 वर्ष पुत्र हरिकिशन जाति धाकड़ निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :–विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री ओमसिंह राठौड़।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल दिलोद हाथी पटवार हल्का दिलोद हाथी तह0 अटरू में खाता संख्या 81 का ख0न0 1107 का रकबा 0.07 है०, ख० न0 1108 का रकबा 3.13 है०, ख० न0 1109 का रकबा 0.93 है०, ख०न० 327 का रकबा 0.52 है०, ख0न0 500 का रकबा 0.20 है०, ख0न0 501 का रकबा 0.33 है0, ख0नं0 502 की 0.17 है0, ख0न0 503 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 504 की 0.10 है0, ख0न0 505 का रकबा 0.02 है० गै.मु. चाह, ख0न0 506 का रकबा 0.05 है0 गै0मु0 मकान, ख0नं0 508 की 0.06 है0, ख0न0 509 का रकबा 1.51 है0 कुल 13 किता का रकबा 7.28 है० भूमि स्थित है। उक्त भूमि में से ख०न० 327 का रकबा 0.52 है० भूमि पर वादी लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिकिशन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि खाता संख्या 81 के ख०न० 327 का रकबा 0.52 है० भूमि प्रतिवादी के खाते से कम की जाकर वादी लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिकिशन के खाता संख्या 521 में जोडा जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 06.10.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.01.28 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

मुदई			मुदालयह
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प वकालत नाम	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	स्टाम्प वजह सबूत	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	महन्ताना वकील	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)